

जुलै ५/२०१८
हुकम सा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
पुनः सुना

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

आम अदालत (१३) का जज वकील
पुनः सुना जज अतः प्रार्थना पत्र
कानून द्वारा १३६ सं. के अधिनियम
द्वारा (१३) का जज लक्ष्मीलक्ष्मी
के अदालत (१३) का जज है।
पुनः आम नाम राम आनन्दपुर के
द्वारा सं. ६६, ६७ लक्ष्मीलक्ष्मी में
वैजयं पुत्र गिरधारी के स्थान पर
राजू सैनी पुत्र गिरधारी सैनी
शुद्ध होंगे जावे। लक्ष्मीलक्ष्मी अदालत
के लक्ष्मीलक्ष्मी जागी हों। अदालत अतः
दिनांक ५.९.१८ के भेरे द्वारा लिखवाया
जाया स्थूल अदालत में सुनाया जाया
परावली का सुनाया जाया अदालत दफ्तर
हों।

५/९/१८
उप जज अधिकारी
बांदीकुई (दोसा)